




न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


नं.क	फर्द अहकाम	
	सु.नं 104/17 तारीख 29.8.17	
	उभयान- सच्चे बनाम गीता वगैरे	
	दाया बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 539 188 RA Act	
	वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिमा बन्दी व श्राप पत्र का अवलोकन किया गया। वावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तब कर दिनांक 4.9.17 को पेश हो।	 जगदीश आर्य उपजिला कलेक्टर टोडाभीम
4/17	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से श्री शमा-पतार शर्मा एडवोकेट ने भी जो पेश किया। उपपंजीयक व तहसीलदार की तामिल हो चुकी है। वावजूद सचन उपस्थित नहीं। इसलिए एडवोकेट के कह सुक पंजीय कार्यवाही अग्रण में लायी जाती है। शमापतार शर्मा ने वकालतनाम पेश करे का कथन किया। वारंते वकालतनाम वज बाव दिनांक 19.9.17 को पेश हो।	
19.9.17	वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से श्री सुरेश चर्मा शर्मा Adv. ने वकालतनाम पेश किया। जब पेश करने दि 9.10.17 को पेश हो।	 जगदीश आर्य उपजिला कलेक्टर टोडाभीम
10/17	वकालत उप। जब पेश करने दि 1-11-17 को पेश हो।	 जगदीश आर्य उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

4568 67
29.8.17



राजे वनाग्रीग
न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
27.5.19	पत्रावली पेश हुई/ प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी वकील उपस्थित नहीं हैं, कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं हैं। अतः यह दावा अदम राजिरी एवं अदम पैरवी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)